KRISHI VIGYAN KENDRA KUMHER BHARATPUR
SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY JOBNER

Dr. AMAR SINGH
PROGRAMME COORDINATOR
Email- pc.kvk.kumher@sknau.ac.in

Mobile:-91-9414486052
Telefax:-05644-240691 (O)

क्रमांकः एफ(LT)/Store/KVK/K/17/197–206 दिनांकः 27.07.2017

सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) पर हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ वर्ष 2017 (2 से 2.25 हैक्टेयर कृषि भूमि) व रबी वर्ष 2017–18 (11 से 12 हैक्टेयर कृषि भूमि) के लिए दिनांक 09.08.2017 को दोपहर बाद 2:00 बजे तक सीमित निविदा आमन्त्रित की जाती है। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.80 लाख है। इच्छुक ठेकेदार /फर्म कार्यालय समय में निविदा फार्म क्रय कर सकते है। इस कार्य की निविदा दिनांक 09.08.2017 को 1:00 बजे तक कार्यालय समय में बन्द लिफाफे में जमा करा सकते है। समय निकल जाने के पश्चात् निविदादाताओं को निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा। निविदा दिनांक 09.08.2017 को दोपहर बाद 2:00 बजे समस्त निविदादाताओं के समक्ष खेली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रू0 200/– कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक द्वारा ही भुगतान कर दिनांक 09.08.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.08.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा होगें। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

Programme Coordinator
कार्यक्रम समन्वयक
Krishi Vigyan Kendra
कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर
Kumher, Bharatpur

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/..।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिष्चित करे।
6. मैसर्स..।
7. कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
10. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
11. फार्म प्रबन्धक, केवीके कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
12. फार्म प्रभारी, केवीके कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
13. रक्षित फाइल

Programme Coordinator
कार्यक्रम समन्वयक
Krishi Vigyan Kendra
कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर
Kumher, Bharatpur

कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)
प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर

सीमित निविदा प्रपत्र

सीमित निविदा सूचना क्रमांक (LT)/ Store / केवीके / के / 2017 / 197–206	दिनांकः 27.07.2017
1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हैड	रिवोल्विंग फण्ड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2017 व रबी 2017–18
4. निविदा फार्म का मूल्य	200/– रूपये बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	6000/– रूपये
6. अनुमानित लागत	180 लाख
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	09.08.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	09.08.2017 को दोपहर 01:00 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	09.08.2017 को दोपहर 02:00 बजे
10. परिशिष्ट संख्या एक से चार	निविदा की शर्ते
11. परिशिष्ट संख्या चार – पृष्ठ संख्या पॉच	फसल व हिस्सेदारी का विवरण
12. पत्राचार हेतु पता– कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)	फोन नं.: 05644–240691(कार्यालय) 05644– 222438 (आवास) मोबाईल नं0– 9414486052

निविदा शर्तेः–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	ट्रैक्टर संबंधी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड़ ड्रिल द्वारा बुबाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात् इनसे संबंधित डीजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
4.	बुबाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूदनाशक कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
5.	निविदादााता को सिंचाई संबंधी पाइप, फब्बारे बेड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वंय की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
6.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
Kumher, Bharatpur

7.	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8.	फार्म पर बाढ लगाने का कार्य निविदादाता को ही करना होगा। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
9.	निराई, गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी को होगा।
10.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी।
11.	थ्रेसिंग पश्चात् बोरियों में भरते समय ध्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 1 क्विंटन से अधिक नहीं हो।
12.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्रोली उपलब्ध करवादी जावेगी।
13.	ट्यूब बैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता स्वंय को करनी होगी।
14.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
15.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी । कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
16.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आसपास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
17.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होगे।
18.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं सभालने पर ठेका निरस्त करके अमली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढाई जा सकती है।
19.	एक दिन की सिंचाई हेतु केवल एक जगह के ट्यूबबैल से सिंचाई करने की अनुमति होगी।
20.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेगा और किसी मजदूर को भी उपयोग नहीं करने देगा।
21.	फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें मौसम वेदशाला, स्प्रिंगकिलर सिस्टम, पॉली हाउस, नैट हाउस, समर सेबिल व फील्ड में लगे चारो तरफ के पैड़ों की चौकीदारी करनी होगी।
22.	फार्म फील्ड पर यदि रबी–खरीफ सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को करनी होगी।
23.	जिस भी क्षेत्र में खरीफ व रबी फसल बोयी जायेगी उस क्षेत्र के खेतों में लगे छोटे–बड़े फल आदि के पेड़ पौधे की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
24.	फार्म पर बेर, बाग अनार, अमरूद व ऑवले के पेड़ों की सुरक्षा जानवरों से करनी होगी। अगर इन सब पेड़ों का ठेका किसी अन्य ठेकेदार को कर दिया जाता है तो इन पेड़ों की जिम्मेदारी दूसरे निविदादाता की होगी। लेकिन ठेका होने से पहले व आरचर्ड बाग का ठेका समाप्त होने के बाद इनकी सुरक्षा फार्म फील्ड चौकीदार को करनी होगी। साथ ही यह देखना होगा कि कोई जानवर इस ओचार्ड में प्रवेश न करें। क्योंकि कोई भी जानवर खेतों में ही होकर हमारे फार्म फील्ड में ही घुसता हैं।
25.	समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
26.	सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 6000/– रूपये नगद जमा करानी होगी। जिस पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगी।
27.	फार्म पर 12 हैक्टेयर कृषि भूमि हैं जिसमें कि खरीफ फसल के लिए 2 से 2.25 हैक्टेयर भूमि व रबी फसल

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
Kumher, Bharatpur

	के लिए 11–12 हैक्टेयर कृशि भूमि है। जिसका क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा भी सकता है।
28.	यह ठेका वर्ष 2017 खरीफ व रबी 2017–18 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने से फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
29.	वजन तोलते समय नमी, कचरा, ट्रान्सपोटेशन लोस व स्टोर लॉस के लिए एक प्रतिशत तक कुल वजन में से नग अनुसार काटा जावेगा।
30.	जुताई हेतु ट्रैक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी। सिचाई हेतु ईजन, पाईप डीजल इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।
31.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की पूर्ति केन्द्र द्वारा की जावेगी।
32.	बुवाई से लेकर थ्रेसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
33.	स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई संबंधी डीजल, ईजन, पम्पसैट, पाईप व अन्य सामान गिनकर लिखित में प्राप्त करना होगा व गिनकर वापिस जमा कराना होगा व जिसकी चौकीदारी स्वंय ठेकेदार को ही करनी होगी।
34.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बॅटवारे के बाद ठेकेदार को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य होगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो तो उन फसलों का फसल काटने के समय कृषि उपज मण्डी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर या केन्द्र द्वारा विक्रय किये केवीवीएसएस दर पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। ठेकेदार के भुगतान के उपरान्त केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
35.	ठेकेदार को फसल कटाई के बाद कटी हुई फसल को कहॉ इकठ्ठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं। इसके लिए फार्म प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकठ्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकठ्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक के निर्णय के अनुसार व कार्यशीघ्रता से करना होगा। फसल इकठ्ठा करने हेतु ट्रैक्टर–ट्रॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।
36.	निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग, दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव व अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदाता को कराना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर कार्य रोके जाने अथवा जारी रखने व परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने का अधिकार फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक का होगा।
37.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये दाने को बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में पहुॅचाकर धॉग लगानी होगी।
38.	थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले लेवर का सभी खर्चा स्वंय ठेकेदार का होगा।
39.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु ट्रैक्टर–ट्रॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जावेगा।
40.	फसल में रोगिग/ अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी / फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग–अलग समय पर करवाना होगा।
41.	बोरिंग, पम्प, ईजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी ।
42.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
43.	फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।
44.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होगें यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से सन्तुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय

Programme Co
Krishi Vi
Kumher Bharatpur

	द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
45.	जिसके नाम हिस्सा बटाई का ठेका छूटेगा उसी व्यक्ति को आदेश मिलने के बाद से ही निविदा की शर्तो के अनुसार फार्म फील्ड की चौकीदारी का कार्य भी संभालना होगा। जो कि रबी फसल खेत में से उठने तक मान्य होगा।
46.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
47.	थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
48.	सफल निविदादाता को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
49.	निविदादाता अगर कोई कार्य फार्म प्रभारी / फार्म प्रबन्धक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अगले दिन कार्यालय स्वंय मजदूर लगाकर कार्य को करवा लिया जावेगा। जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा।
50.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता का होगा।
51.	समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से सन्तुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
52.	निविदादाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वंय करेगा।
53.	केन्द्र के पास 12.0 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें ग्वार, ढैंचा, सरसों, चना, जौ, मसूर, मैथी एवं मौसम के अनुसार फसल का क्षेत्रफल बढ़ाया अथवा घटाया भी जा सकता है।
54.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
55.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
56.	इन सभी कृषि कार्यो हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
57.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
58.	अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
59.	किसी प्रकार के प्रकृतिक होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नही होगा।
60.	मैनें उपरोक्त सभी शर्तो को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तो के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

कार्यक्रम समन्वयक

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
Kumher, Bharatpur

परिशिष्ट संख्या – 4

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण

क्र0 सं0	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वंय हिस्सेदारी प्रतिशत	ठेकेदार द्वारा अन्य कोई शर्त
		खरीफ फसल 2017		
1.	ढ़ैचा	1. तुडी		
		2. दाना		
2.	ग्वार	1. भूसा		
		2. दाना		
3.	तिल	1. चारा		
		2. दाना		
4.		1.		
		2.		
		रबी फसल 2017 – 2018		
1.	सरसों	1. तुडी		
		2. दाना		
2.	जौं	1. भूसा		
		2. दाना		
3.	चना	1. चारा		
		2. दाना		
4.	गेहूँ	1. दाना		
		2. भूसा		
5.	मसूर	1. दाना		
		2. भूसा		
6.	मैथी	1. दाना		
		2. तुडी		
7.		1.		
		2.		

मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय पता व टेलीफोन नं0 सहित

कार्यक्रम समन्वयक
केवीके कुम्हेर
भरतपुर

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
Kumher, Bharatpur